गिर्राज वगैरा बनाम छुट्टी वगैरा

..... मुकदमा दावा नं. 87 ............ सन् 2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | 20-7-2015 वादीगण गिर्राज वगैरा जाति माली निवासी बिदरखा रेती की ओर से श्री प्रकाश चन्द शर्मा, Adv. ने यह दावा हमारे समक्ष पेश किया। वादीगण के वकील को सुना गया। दावा दर्ज किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिए सम्मन की जावे। पत्रावली दि० 3-8-2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी | |
| | [illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष [illegible] पीठासीन [illegible] है/अन्य [illegible] गया है [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-10-15 को पेश हो। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्रा० में शामिल किया। रीडर | |
| | 5-10-15 वकील वादीगण उपस्थित है। तलबी प्रतिवादीगण की जाकर पत्रावली दि० 16-11-15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| | 16-11-15 वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण मय पक्षकारान उपस्थित है। पक्षकारों द्वारा दि० 3-8-15 को प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। पक्षकारों ने राजीनामे के अनुसार दावा निर्णित करने का निवेदन किया है। अतः दावा वादीगण राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) | गिर्राज (अंगूठा निशान) छीतरमल [illegible] महेश चन्द लालाराम चिरंजीलाल अमरपाल छुट्टी पारवती [illegible] |

## निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 87/2015 | 20.7.2015 | 16.11.2015 |

1. गिर्राज पुत्र विशन्या, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
2. मुकेश पुत्र स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
3. शिवचरण पुत्र स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
4. भोती बेवा स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
5. मीरा पुत्री स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
6. लेखराज पुत्र विरजू
7. हुरमा पुत्री विरजू
8. आरती पुत्री विरजू

नावालिगान जरिए संरक्षिका माता भोती बेवा विरजू जाति माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

**बनाम**

1. ठण्डी पुत्र मीठया, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
2. पाखण्डी पुत्र मीठया, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
3. चिरमोल पुत्र मीठया, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
4. महेश पुत्र ठण्डी, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
5. अमरपाल पुत्र ठण्डी, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
6. लाला पुत्र पाखण्डी, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

**दावा स्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थितः—श्री प्रकाशचन्द शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

**निर्णय**

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 764 रकबा 71 एयर ग्राम विदरखा वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है । इस भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है। वादीगण ने इस वर्ष इस भूमि में स्यालू की फसल काश्त की है जो सरसब्ज खडी हुई है। दिनांक 10.7.2015 को वादीगण अपने खेत में खडी फसल की निंदाई कर रहे थे तो प्रतिवादीगण हाथो में लाठी डंडे लेकर आ गए व वादीगण से कहने लगे कि फसल की निराई बन्द करो, तुमने बिना पूछे कैसे काश्त की है। यह हमारे कब्जे की भूमि है। वादीगण के यह कहने पर कि हमें परेशान मत करो प्रतिवादीगण नाराज हो गए व झगडा करने पर आमादा हो गए । वादीगण को वादकारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 10.7.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खेत पर आकर धमकी देने से पैदा हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0नं0 764 रकबा 71 एयर ग्राम विदरखा में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, फसल को बर्बाद नहीं करें और न ही दीगर व्यक्ति से बाधा उत्पन्न करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

...जिला कलेक्टर

प्रतिवादीगण ने वादपत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया एवं दिनांक 3.8.2015 को अदालत में उपस्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने एक राजीनामा पेश किया । राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया कि ग्राम के पांच आदमियों के समझाने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा इस प्रकार हो गया है कि भूमि ख0नं0 764 रकबा 71 एयर ग्राम विदरखा वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जिसमें इस वर्ष स्यालू की फसल बाजरा व मिल वादीगण ने काश्त की है। उक्त खेत में खडी फसल में हम प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करेंगे । इसके खेत की डोल मेड नहीं तोडेंगे । वादीगण द्वारा खेत का सीमाज्ञान कराने पर वादीगण के उक्त खेत की भूमि के भाग पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा मिला तो प्रतिवादीगण जमीन से कब्जा हटा लेंगे । सीमाज्ञान के समय दोनों पक्ष मौके पर मौजूद रहेंगे । अतः दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमा दिया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 पेश की है ।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान वकीलों ने राजीनामे के अनुसार वाद का निर्णय करन का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं राजीनामे का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के अनुसार भूमि ख0नं0 764 रकबा 71 एयर ग्राम विदरखा वादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसे प्रतिवादीगण ने भी राजीनामे में स्वीकार किया है। अतः दावा राजीनामे के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

**आदेश**

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उभयपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 764 रकबा 71 एयर ग्राम विदरखा के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। खेत में खडी फसल को बर्बाद नहीं करें। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( मुनिदेव यादव )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)
सत्यमेव जयते

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. गिर्राज पुत्र विशन्या, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
2. मुकेश पुत्र स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
3. शिवचरण पुत्र स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
4. भोती बेवा स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
5. मीरा पुत्री स्व0 विरजू, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
6. लेखराज पुत्र विरजू
7. हुरमा पुत्री विरजू
8. आरती पुत्री विरजू

नावालिगान जरिए संरक्षिका माता भोती बेवा विरजू जाति माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. ठण्डी पुत्र मीठया, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
2. पाखण्डी पुत्र मीठया, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
3. चिरमोल पुत्र मीठया, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
4. महेश पुत्र ठण्डी, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
5. अमरपाल पुत्र ठण्डी, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी
6. लाला पुत्र पाखण्डी, माली निवासी विदरखा रेती तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

**दावा स्थाई निषेधाज्ञा**

**मुकदमा नं. – 87/2015**

**यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी** श्री भानु प्रकाशचन्द शर्मा, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उभयपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 764 रकबा 71 एयर ग्राम विदरखा के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। खेत में खडी फसल को बर्बाद नहीं करें। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.11.2015 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |